

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन-202122, दूरभाष-0571-2960088)

पत्रांक 875/14-1(44699/2020)दिनांक: अलीगढ़:सितम्बर:19,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस- आगरा मार्ग) किमी0 03 (चैनेज-2.243) की बांयी पटरी खसरा संख्या-10 पर न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069777 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यूपी0/एप्रोच/44699/2020

सन्दर्भ:- 1-भारत सरकार की पत्र सं0-08बी/यूपी0/06/68/2022/एफ.सी./146 दिनांक 21.06.2022
2-प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस का पत्रांक-705/35-1 दिनांक 30.08.2022

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जो कि निम्न प्रकार प्रेषित है:-

Sl.No.	Observation	Reply
1	As per the Google earth, imageries dated 03.2022, existing structure of the petrol pump is observed in the proposed area diversion, this needs clarification.	प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध भा0व0अधि0 1927 की धारा-33 के अन्तर्गत एच0-2 केस संख्या-20 हाथरस/2022-23 इजरा कर मु0 60000.00 का जुर्माना बसूल कर लिया गया है। ई-3 रसीद संख्या 153488 दिनांक 25.07.2022 की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है।(संलग्न:-1)
2	As per the PARIVESH portal CA land area is 0.069777 ha. (for 100 trees minimum requirement of the area is 0.09 ha. which is less than the actual CA area), but according to the KML file CA land area is 0.14 ha. Which is not matching, this needs rectification/ clarification	परिवेश पोर्टल पर क्षतिपूर्क वनीकरण का क्षेत्रफल संशोधित कर दिया गया है। (संलग्न:-2)
3	The proposed CA land patch is completely overlapping with another project CA area, this needs rectification/ clarification.	क्षतिपूर्क वनीकरण का स्थल परिवर्तित कर सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है। (संलग्न:-3)

10 D/Dman/land trans/hathras/44699 of 2020

4	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 140 trees over an area of 0.14 ha. Accordingly, CA scheme and related documents shall be submitted and uploaded on PARIVESH portal.	क्षतिपूरक वनिकरण स्कीम एवं सम्बन्धित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड कर संलग्न है। (संलग्न:-4)
5	An undertaking needs to be submitted that no felling shall be carried out in the execution of said project without prior approval of Hon' ble Supreme Court.	इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्नक है। (संलग्न:-5)

प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस द्वारा प्रशनगत प्रकरण में उल्लंघन को न रोके जाने हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का चिन्हांकन प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ के स्थाई आदेश संख्या-प-35/11-2 दिनांक 03.05.2005 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार 04 बिन्दुओं की सूचना तथा विभागीय दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के उल्लंघन किये जाने के पर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार Penalty की गणना उपलब्ध कराया गया है। उक्त समस्त अभिलेख 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भविष्यीय,

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक-875/दिनांकित।

प्रतिलिपि:-प्रबन्धक इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड आईओसी0 भवन 65/2 संजय प्लेस आगरा-282002 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।